न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 293 / 2022 तारीख रजू:– 13.12.2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

हरि पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी बुर्जावाडा हाल निवासी शिव कोलोनी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान —————————— सायल

बनाम

1. मगन पुत्र ठण्डी
2. गोपाली पत्नि मगन
3. सचिन पुत्र मगन
4. कुम्हेर पुत्र मगन
5. प्रकाशी पत्नि कुम्हेर
6. लखन पुत्र ठण्डी

जाति मीना निवासी ग्राम बुर्जावाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

7. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ——————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:–1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायलान

2. श्री शांतिस्वरूप शर्मा एडवोकेट गैरसायल नं.1 ता 5

निर्णय

दिनांक :– 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2529 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2531 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2532 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2533 रकवा 12 ऐयर कुल किता 4. कुल रकवा 45 ऐयर स्थित ग्राम बुर्जावाडा, तहसील हिण्डौन है। जो सायल व गैरसायल नम्बर 01 तथा गैरसायल नम्बर 06 की संयुक्त खातेदारी, कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग की भूमि है, जिससे अन्य गैरसायल नम्बर 02 ता 05 का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में सायल 1/4 हिस्से का तथा गैरसायल नम्बर 01. 1/2 हिस्से तथा गैरसायल नम्बर 06, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं तथा सायल एवं गैरसायल नम्बर 01 व 06 ने मौके पर उक्त आराजीयात का वहामी तकास्मा कर रखा है तथा तकास्मा के अनुरूप गैरसायल नम्बर 01 के पास खसरा नम्बर 2529 रकवा 11 ऐयर व 2531 रकवा 11 ऐयर, कुल किता 2 कुल रकवा 22 ऐयर है, जिसमें उसने चारों तरफ से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल कर रखी है तथा गैरसायल नम्बर 06 लखन के पास खसरा नम्बर 2532 रकवा 11 ऐयर है, जिसकी भी उसने चारों ओर से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल व रिहायशी निर्माण कर रखे हैं तथा सायल के पास खसरा नम्बर 2533 रकवा 11.5 (साढ़े ग्यारह) ऐयर है, जिसमें वह काश्त करता चला आ रहा है तथा उसमें सायल ने एक तरफ बाउण्ड्रीवाल कर रखी है, जिससे बरसाती पानी से मिट्टी का कटाव व जानवरों को आने से रोका जा सके। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात पर सायल व गैरसायल नम्बर 01 व 06 काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायल व गैरसायल नम्बर 01 तथा गैरसायल नम्बर 06 खास सगे भाई हैं तथा गैरसायल नम्बर 02 ता 05, गैरसायल नम्बर 01 की पत्नी, पुत्रगण व पुत्रवधु है अर्थात गैरसायल नम्बर 01 के पारिवारिक सदस्य है जो जबरन लठ्ठ के बल पर सायल की डीलमेंडों को तोड़ते हुए उसकी भूमि में होकर रास्ता निकालने पर आमादा है,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसके लिए वह आए दिन सायल को हैरान व परेशान करते रहते हैं, जबकि वहामी तकास्मा अनुरूप सायल एवं गैरसायल नम्बर 01 व 06 अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 11.12. 2022 को दिन के करीब 10 बजे का है कि सायल अपने हिस्से की आराजी की सार–संभाल कर रहा था कि गैरसायल संख्या 01 ता 05 मौके पर आये और सायल से उसकी भूमि में जबरन रास्ता निकालने की कहने लगे तो सायल ने कहा कि मैं तो मेरे हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त करता रहा हूं, तुम्हारे पास तुम्हारे हिस्से की भूमि है, तुम मेरी जमीन पर जबरदस्ती रास्ता क्यों निकालते हो तो सभी गैरसायलान एकराय होकर बोले कि हमारे तो लट्ठ में दम है, हम तो तुम्हारे हिस्से की जमीन में होकर ही रास्ता निकालेंगे, तुमसे बने सो कर लेना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बंद करा देंगे, सायल के काफी समझाने पर भी गैरसायलान मानने को तैयार नहीं हुए। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा गैरसायलान को को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 2529 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2531 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2532 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2533 रकवा 12 ऐयर कुल किता 4. कुल रकवा 45 ऐयर स्थित ग्राम बुर्जावाडा, तहसील हिण्डौन का बिना विधिवत बंटवारा कराये सायल के कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि खसरा नम्बर 2533 रकवा 12 ऐयर में होकर जबरन रास्ता नहीं निकालें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायल के उपरोक्त आराजी में उसके हक हकूकों व उपयोग उपभोग में कोई क्षति किसी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसके लिए वह आए दिन सायल को हैरान व परेशान करते रहते हैं, जबकि वहामी तकास्मा अनुरूप सायल एवं गैरसायल नम्बर 01 व 06 अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 11.12.2022 को दिन के करीब 10 बजे का है कि सायल अपने हिस्से की आराजी की सार–संभाल कर रहा था कि गैरसायल संख्या 01 ता 05 मौके पर आये और सायल से उसकी भूमि में जबरन रास्ता निकालने की कहने लगे तो सायल ने कहा कि मैं तो मेरे हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त करता रहा हूं, तुम्हारे पास तुम्हारे हिस्से की भूमि है, तुम मेरी जमीन पर जबरदस्ती रास्ता क्यों निकालते हो तो सभी गैरसायलान एकराय होकर बोले कि हमारे तो लट्ठ में दम है, हम तो तुम्हारे हिस्से की जमीन में होकर ही रास्ता निकालेंगे, तुमसे बने सो कर लेना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बंद करा देंगे, सायल के काफी समझाने पर भी गैरसायलान मानने को तैयार नहीं हुए। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला दावा गैरसायलान को को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 2529 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2531 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2532 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 2533 रकवा 12 ऐयर कुल किता 4. कुल रकवा 45 ऐयर स्थित ग्राम बुर्जावाडा, तहसील हिण्डौन का बिना विधिवत बंटवारा कराये सायल के कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि खसरा नम्बर 2533 रकवा 12 ऐयर में होकर जबरन रास्ता नहीं निकालें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायल के उपरोक्त आराजी में उसके हक हकूकों व उपयोग उपभोग में कोई क्षति किसी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रकार की पहुंचे तथा सायल को उक्त आराजीयात में उनके उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.01.2023 को गैरसायल सं01 ता 5 की ओर से श्री शान्तिस्वरूप शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 10.03.2025 को गैरसायल सं0 1 ता 5 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जबाव प्रार्थना पत्र बन्द करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल सं0 6 व 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 06.02.2026 को गैरसायल सं0 1 ता 5 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश मय दर0 जबाव प्रार्थना पत्र को रिकोर्ड पर लेने का पेश किया। गैरसायलान का प्रार्थना पत्र 500/–रूपया कोस्ट पर स्वीकार करते हुए गैरसायला सं0 1 ता 5 के जबाव को रिकोर्ड पर लेने के आदेश जारी किये गये। गैरसायल सं0 1 ता 5 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद नम्वर 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा कतई गलत एवम झूठे तथ्यो का बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना स्वीकार है जिसमें सायल को सफलता का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद नम्वर 2 में दर्ज आराजीयात गाँव बुर्जाबाडा तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है। इस मद में गैरसायलान नम्बर 2 लगायत 4 के पिताजी गैरसायल सं०1 मगन पुत्र ठण्डी की 1/2 भाग की आराजीयात है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नही है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्वर 2 प्रार्थना–पत्र मैं गैरसायल नम्वर 1 का 1/2 हिस्सा है, उपरोक्त आराजीयात का विधिवत बंटबारा नहीं हुआ है। गैरसायल नं0 1 ने उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने के लिये गैरसायल ने दाबा व उनवानी मगन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बनाम हरी पेशकर रखा है जो कि विचाराधीन है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। सायल की मौके पर कोई बाउण्ड्री बाल नही कर रखी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 4 जिस प्रकार सेतहरीर किया गया है, गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है। सायल की गेरसायल नम्बर 1 ने कोई डौल मैड नहीं तोडी है नाही तोडने का प्रयास किया है। बल्कि सायल ने गैरसायल नं0 1 की शामलाती रास्ते की भूमि छोडी थी उसे सायल ने दबा लिया है गैरसायलान नं0 1 ता 5 का रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। गैरसायलान नं०1 ता 4 ने सायल को कभी भी हैरान परेशान नही किया है, बल्कि सायल ही हमेशा ते गैरसायलान को हैरान परेशान करता चला आ रहा है। सायल ने शामलाती रास्ते की भूमि जो कि शामलाती रूप से छोड रखती है, उस रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है। सायल की नीयत में बदयांति है। सायल ने महज गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज ते दावा व प्रार्थना पत्र बाजा पेशकर दिया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, कतई गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायलान ने सायल के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 25 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत रास्ता निकलवाने बाबत कर रखा है जितका मु0नं0 34/2022 व उनवानी मगन सिंह बनाम हरी वगैरा पेश कर रखा है। सायल ने आने जाने के रास्ते को लाठी की ताकत से जबरन बंद कर रखा है। जिससे गैरसायलान नं1 ता 5 अपने हिस्से की जमीन पर पहुंच नहीं पाते है इस कारण गैरसायलान नम्वर 1 ता 5 की जमीन मौके पर बंजर पडी हुयी है, गैरसायलान नम्वर 1 ता 5 ने ना तो कोई डौल मेड तोडी है ना ही रास्ता रोका है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा माननीय न्यायालय में धारा 251 क. राज० लैण्ड रेवेन्यू रेक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र पेशकर रखा है जोकि विचाराधीन है। गैरसायलान ने कभी भी जबरन रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया है, इस मद में दि० 11.12.2022 को समय 10 बजे इस मद में वर्णित कोई बात चीत नहीं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हुयी और ना ही इस मद में वर्णित कोई धामकी ही सायल को दी है। सायल ने महज गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से यह गलत एवम झूठा प्रार्थना–पत्र एवम दावा पेशकर दिये है जो कि खारिज किये जान योग्य है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। प्रार्थना–पत्र गलत पेश किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है प्रार्थना–पत्र का मद नम्वर 6 गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान को कानूनन पाबंद नही किया जा सकता है। यदि पाबंद कर दिया तो गैरसायलान को अपूर्तनीय हाति हो जावेगी। सायल के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं नाही पृथाम दृष्ट्या केस ही साबित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र में चाही गयी रिलीफ से ईन्कारी है। सायल विरूद्ध गैरसायलान कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नही है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र सायल कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है, तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि खाता सं0 नया 74 व पुराना में सायल का 1/4 हिस्सा है, तथा गैरसायलान का 1/2 हिस्सा है तथा लखन पुत्र ठण्डी का भी 1/4 हिस्ता है। गैरसायल o1 के पास भूमि का 2529 रकबा रकबा 11 ऐयर, 2531 रकबा 11 ऐयर कुल 22 ऐयर भूमि आयी है। तथा लखन के पास ख0नं० 2532 रकबा 11 ऐयर भूमि है, तथा लवान के पास ख0नं0 2533 रकबा 12 ऐयर जमीन बाहमी बंटवारा में आयी है, जो कि गैरसायल 01 तथा सायल व लखन की सहमति से सायल के पास एक रेयर जमीन शामलाती रास्ते के लिये अपने डोलों पर आने जाने के लिये छोड रखी है, जितका सायल दुरुप्योग कर रास्ता की भूमि को जबरन दबाना चाहता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 ने सायल के खिलाफ एक दावा कानूनी रूप से धारा 251 क. राजा टिनेन्सी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रेक्ट के तहत रास्ता निकालने हेतु माननीय न्यायालय में व उनवानी मगनसिंह बनाम हरी वगैरा पेश कर रखा है, सायल आने जाने के रास्ते को लाठी की ताकत पर बंद कर दिया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि 13– यह कि सायल की नीयत में बदयांति सायल ने शामलाती रास्ते के लिये डोडरखी एक ऐयर जमीन को जबरन दबा रखा है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्रार्थना–पत्र सायल विरुद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.11 है0, 2531 रकबा 0.11 है0, 2532 रकबा 0.11 है0, 2533 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम वुर्जावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी मगन पुत्र ठण्डी हि0 1/2, लखन पुत्र ठण्डी हि0 1/4, हरि पुत्र ठण्डी हि0 1/4 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.11 है0, 2531 रकबा 0.11 है0, 2532 रकबा 0.11 है0, 2533 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम वुर्जावाडा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली

तहसील हिण्डौन के सायल एवं गैरसायल सं0 व 6 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं02 ता 5, गैरसायल सं01 के वारिसान हैं। इस प्रकार गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात में हिस्सा 3/4 भाग के मुताविक जमाबन्दी रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। कानूनन सहखातेदारी की भूमि का जब तक विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है। चूंकि उक्त प्रकरण में गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायल, गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की अधिकारी साबित नहीं है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही सायल के पक्ष में साबित है। बल्कि उक्त तीनों ही बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो इससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.11 है0, 2531 रकबा 0.11 है0, 2532 रकबा 0.11 है0, 2533 रकबा 0.12 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम वुर्जावाडा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 13.12.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विदृड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 9/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली